E- ISSN No: 2395-0269

International Journal of Applied and Universal Research
Volume 2, Issue 1, May-June 2015 Available online at: www.ijaur.com

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में आर्थिक संस्थाऐं और भारत की भूमिका

डॉ. पल्लवी मिश्रा (डिपार्टमेन्ट ऑफ कामर्स)
शासकीय महाविद्यालय, नईगढ़ी जिला–रीवा (म.प्र.)

सारांश – अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय कई प्रकार की आर्थिक भौगौलिक राजनीतिक परिस्थितियों की देन है। कई बार विदेशी मुद्रार्जन के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय किया जाता है। तो कभी–कभी राजनीतिक प्रभुत्व की इच्छा तथा राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय किया जाता है। परस्पर आर्थिक सहयोग, उच्च जीवन स्तर की लालसा, औद्योगिक साधनों की कम गतिशीलता श्रम–विभाजन आदि के कारण भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के प्रति रुझान बढ़ जाता है।

मुख्य शब्द – अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय आर्थिक संस्थाए और भारत की भूमिका ।

1. प्रस्तावना –

आज विश्व का प्रत्येक राष्ट्र अपनी आर्थिक समृद्धि व सुदृढ़ता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय पर सर्वाधिक ध्यान केन्द्रित कर रहा है। क्योकि इससे तकनीको व नवीनतम मशीनों का आयात सम्भव है। वहीं दूसरी ओर आधिक्य को विदेशो में बेचकर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कारण वस्तुओं व सेवाओं का गुण–स्तर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिमानों के अनुरुप बनाने का प्रयास किया जाता है। फलस्वरुप किस्म–सुधार को बढ़ावा मिलती है। तथा समाज के जीवन स्तर में सुधार भी हेाता है। अतः प्रत्येक देश अपनी निर्यात आय नीति को प्रभावोत्पादक बनाकर अधिकतम निर्यात संवर्द्धन का प्रयास करता है।

द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति पर विश्व देशों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग परर विशेष रुप से ध्यान दिया गया। इसके पीछे विनिमय दरो में स्थिररतता बनाये रखना प्रमुख उद्देश्य था। अतः जुलाई 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर आयोजित सम्मेलन में दो अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना का निर्णय लिया गया। विभन्न देशों के मध्य मौद्रिक सहयोग के लिए अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोश तथा युद्ध में विध्वस्य देशों के पुननिर्माण एवं अल्पविकसित देशों के विकास के लिए अन्तराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना की गयी। सन 1930 की विश्वव्यापी मन्दी में अन्तराष्ट्रीय व्यापार के विकास पर बहुल बुरा प्रभाव पड़ा था। अतः व्यापार के विकास हेतु सन् 1947 को गेट समझौता किया गया। यह आगे चलकर जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन में परिवतित हो गया।

वर्तमान सीमाविहीन वैश्विक परिवेश में अन्तराष्ट्रीय व्यवसाय का विकास एवं विस्तार निरन्तर बढ़ता जा रहा है। आज विश्व स्तर पर अनेक वित्तीय संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। जिनका मुख्य कार्य अन्तराष्ट्रीय तरलता को बनाए रखना तथा अन्तराष्ट्रीय व्यवसाय को प्रोत्साहित करना है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष(IMF), विश्व बैंक(IFC), अन्तराष्ट्रीय वित्त निगम(IDA), अन्तराष्ट्रीय विकास एजेन्सी, एशियाई विकास बैंक और विश्व व्यापार संगठन(WTO) जैसी अनेक आर्थिक संस्थानों द्वारा अन्तराष्ट्रीय व्यवसाय को बढ़ाने तथा इसकी समस्याओं को प्रभावी ढ़ंग से समाधान करने में सराहनीय भूमिका अदा की जा रही है।

भारत भी एक विकासोन्मुखी देश के रुप में अन्तराष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के दौर में हमारा देश वैश्विक स्तर पर सफलता के अनेक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, भारत ने निर्यात आयात बैंक की सहायता से निर्यात व्यापार को कई गणा बढ़ाने में सफलता हासिल की है। वहीं दूसरी ओर अन्तराष्ट्रीय व्यवसाय के मापदण्डों को दृष्टिगत रखते हुए विदेश व्यापार नीति निर्यात आयात नीति का न केवल हमारे देश में क्रियान्वयन किया जा रहा है। बल्कि इनमें समय–समय पर संशोधन भी किए जाते रहे है। नवीन निर्यात बाजार खोजने के लिए भी प्रभावी व्यूह रचनाओं का सृजत भारत सरकार द्वारा किया जाता रहा है।

विदेश व्यापार को गति प्रदान करने तथा इसका सफल नियमन करने के उद्देश्य से हमारे देश में FEMA (पूर्व में FERA) जैसे महत्वपूर्ण अधिनियम भी लागू किए गए है। साथ ही निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए समयानुकूल रियायत व पुरुस्कार योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जाता रहा है।

अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetaruy Fund IMF)

IMF का प्रबन्ध एक संयुक्त पूंजी वाली कम्पनी (Joint Stock Company) की भांति होता है। इसके सभी सदस्य राष्ट्र अपना–अपना एक तथा एक–एक नियुक्त करते है। मुद्रा कोश के सदस्य राष्ट्रो का मताधिकार उनके द्वारा खरीदे गये अभ्यशो की राशि एवं निर्धारित मतों की संख्या के योग से ज्ञात हेा जाती है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र पर एक मत का अधिकार होता है। उदाहरणार्थ भारत का मताधिकार 30555 लाख अभ्यंष के अनुरार 250 + 30555 = 30805 मत है। वर्तमान में भारत में 11वां बड़े अभ्यंश वाला देश बना हुआ है।

सर्वाधिक अभ्यंश वाले 11 देशों का अभ्यंश प्रतिशत निम्नानुसार है:–

सदस्य राष्ट्र		अभ्यंश प्रतिशत में
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	17.01 प्रतिशत
2	जापान	6.13 प्रतिशत
3	जर्मनी	5.99 प्रतिशत
4	यूके	4.94 प्रतिशत

E- ISSN No: 2395-0269

International Journal of Applied and Universal Research
Volume 2, Issue 1, May-June 2015 Available online at: www.ijaur.com

5	फ्रांस	4.94 प्रतिशत
6	चीन	3.72 प्रतिशत
7	इटली	3.25 प्रतिशत
8	सउदी अरब	3.21 प्रतिशत
9	कनाडा	2.93 प्रतिशत
10	रुस	2.74 प्रतिशत
11	भारत	2.44 प्रतिशत

भारत का IMF से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हैं भारत 1945 से इस संगठन का मौलिक सदस्य है। भारत समय–समय पर IMF से ऋण लेता रहा है। किन्तु अब भारत इसके वित्त पोषक राष्ट्रो में शामिल हो गया है। अब भारत Financial Transaction Plan(FTP) के अन्तर्गत IMF को ऋण उपलब्ध करा रहा है। उल्लेखनीय है कि FTP में योगदान हेतु उन सदस्य हेतु उन सदस्य राष्ट्रों को चुना जाता है जिनके स्वयं की भुगतान सन्तुलन की स्थिति ठोस होती है। और जिनके पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा कोष उपलब्ध है।

13वीं कोटा समीक्षा के अन्तर्गत भारत को कोटा अभ्यंश IMF के कुल 21.73अरब SDR में बढ़कर 13114.4 मि. SDR होने होने की सम्भावना है। फलतः भारत IMF का 8वां बड़ा कोटाधारी बन जाएगा। कोटा वृद्धि से भारत की मत शक्ति में भी वृद्धि होगी, भारत को IMF से अनेक लाभ हुए है। वहीं कुछ मामलों प्रबन्ध में कोई हिस्सा नहीं मुद्रा अतमूल्यन की मजबूरी कोटा की तुलना में लाभ कम आदि में भारत को नुकसान भी हो रहा है। किन्तु ये नुकसान नाम मात्र के है।

विश्व बैंक (World Bank)

विश्व बैंक की सदस्यता प्राप्त करने से पहले देश विशेष को IMF का सदस्य बनना अति आवश्यक है अर्थात IMF का सदस्य न होने पर विश्व बैंक की सदस्यता भी सम्भव नहीं है। सदस्य बनने के बाद प्रत्येक राष्ट्र को निर्धारित पूंजी के अंश लेने होते है। तथा नियमानुसार भुगतान करना पड़ता है। IMF की सदस्यता त्यागने पर विश्व बैंक की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। किन्तु बैंक के 75 प्रतिशत सदस्यों द्वारा प्रस्ताव द्वारा यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि IMF की सदस्यता छोड़ने पर भी अमुक देश बैंक का सदस्य रह सकता है। तो वह देष विष्व बेंक का सदस्य बना रह सकता है। स्थापना के समय बैंक की सदस्य संख्या मात्र 43 थी जो आज बढ़कर 188 हो गई है।

प्रत्येक राष्ट को सदस्य बनने पर उसके लिए निर्धारित पूंजी अभ्यंश का 20 प्रतिशत भाग तत्काल देना होता है। तथा 20 प्रतिशत भाग मॉगने पर देय होता है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपने अभ्यंश का 2 प्रतिशत भाग SDR स्वर्ण में परिवर्तनशील मुद्रा में जमा कराना पड़ता है। तथा शेष 18 प्रतिशत भाग अपनी ही मुद्रा के रुप में जमा कराना होता है। विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2011 में प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार बैंक की पूंजी में प्रमुख देशों की स्वीकृत पूंजी अग्रानुसार है –

राष्ट्र	अभ्यंशों की राशि(मि.डालर में)
अमेरिका	281118.3
जापान	15840.4
जर्मनी	8245.0
यूके	7369.5
फ्रांस	7369.5
चीन	5886.4
कनाडा	5270.9
भारत	5055.2
इटली	4479.5
नीदरलैण्ड	3550.3

IMF की तरह से भारत 1946 से ही विश्व बैंक का मौलिक सदस्य रहा है। भारत को विश्व बैंक की सदस्यता से वित्तीय तकनीकी और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में लाभ हुआ है। प्रारंभ से ही विश्व बैंक भारत का आर्थिक संकट में सच्चा सहयोगी रहा है। तकनीकी मार्गदर्शन से भारत ने विश्व बैंक से बहुत कुछ हासिल किया है। पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति विश्व बैंक के सहयोग से ही सम्भव हो पायी है। देश में क्रियान्वित बड़े–बड़े प्रोजेकट्स भी विश्व बैंक की ही देन है। फिर भी आलोचकों का कहना है कि भारत को ऋण अपेक्षा से बहुत कम मिला है। तथा भारत को साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार बैंक करता रहा है। विश्व बैंक जहॉ एक ओर भारत की क्षमता से ज्यादा ब्याज दर वसूल करता है वहीं दूसरी ओर वह ऋणों के उपयोग परर प्रतिबंध भी लगाता रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (International Development Association-IDA)

IDA का सदस्य वह प्रत्येक राष्ट्र बन सकता है जो विश्व बैंक का सदस्य है। विश्व बैंक की तरह अंतिम सूचना देकर कोई भी सदस्य राष्ट्र अपनी सदस्यता का परित्याग भी कर सकता है। स्थापना के समय IDA के केवल 51 दसरू थे जो आज बढ़कर 2011 में 172 हो गए है। IDA की प्रबन्ध व्यवस्था विश्व बैंक के हॉथों में ही है। क्योंकि यह विश्व बैंक की सहायक व पूरक संस्था है। वित्तीय वर्ष 1995–96 के दौरान IDA से सहायता पाने वाले देशों में भारत का प्रथम स्थान था। वर्ष 2002–03 और 2003–04 में IDA ने भारत को क्रमशः 1121ण्2 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा 735.6 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया। करीब 20 से 50 वर्षो के लिए प्रदान किए गए इन उदार ऋणों की सहायता से भारत की कृषि, सिंचाई विद्युत बन्दरगाह, संचार आदि क्षेत्रों में विकास गति तीव्र हुई।

E- ISSN No: 2395-0269

International Journal of Applied and Universal Research
Volume 2, Issue 1, May-June 2015 Available online at: www.ijaur.com

IDA **द्वारा भारत को वित्तीय सहायता – एक नजर में :–**

वर्ष	स्वीकृत सहायता	संवितरित सहायता
1980–81	1945.08	684.1
1900–91	946.6	773.9
2000–01	907.1	1065.6
2004–05	1388.0	1060.9
2006–07	1582.7	998.9
2009–10	547.0	1236.9
2010–11	3609.5	1092.6
2011–12	1587.4	1228.7

Source – Economic Survey, 2011-12 Govt. of India

हालांकि IDA द्वारा भारत सहित अनेक राष्ट्र लाभान्वित हो रहे है। किन्तु आलोचकों की राय में IDA द्वारा ऋण स्वीकार करने में विलम्ब किया जाता है। तथा साथ ही पर्याप्त ऋण नहीं दिया जाता। उदार ऋण देने से ऋणी राष्ट्र कभी कभी मुद्रा स्फीति की चपेट में भी आ जाता है, IDA के पास पूंजीगलल साधनों की कमी के कारण कभी कभी ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है। परन्तु इस आलोचनाओं के उपरान्त भी IDA का विकासशील और अविकसित राष्ट्रों की प्रगति व समृद्धि में सराहनीय योगदान रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation - IFC)

हालांकि IFC विश्व बैंक की एक पूरक सहयोगी संस्था है फिर भी इसका अलग व्यक्तित्व है तथा यह निजी स्त्रोतो से पूंजी जुटाना है 1956 में स्थापना के समय निगम की प्रदन्त पूंजी 78 मिलियन डॉलर थी जो इसके 31 सदस्यों में विभाजित थी। 30 जून 2011 को निगम की अधिकृत पूंजी 2050 मिलियन डॉलर थी जो 1000 मूल्य के 245 लाख अंशों में विभाजित थी प्रदन्त पूंजी (Paid up capital) 2369396 मिलियन डालर थी जो निगम के 183 सदस्य राष्ट्रों में बटी हुई है। 30 जून 2011 को निगम की पूंजी में सर्वाधिक भाग अमरीका का है जो कि निनांकित तालिका से स्पष्ट है।

निगम के प्रमुख अंश धारकों की अंश पूंजी व मताधिकार

सदस्य राष्ट्र	अंश पूंजी (मिलियन डॉलर)	कुल पूंजी का प्रतिशत	कुल मताधिकार का प्रतिशत
अमरीका	569.38	24.03	23.59
ब्रिटेन	121.01	5.11	5.02
जर्मनी	129.91	5.44	5.35
फ्रांस	121.01	5.11	5.02
जापान	141.17	5.96	5.86
कनाडा	81.34	3.43	3.38
इटली	81.34	3.43	3.38
भारत	81.34	3.43	3.38
अन्य सहित कुल योग	2369.396	100 %	100 %

Saurve – IFC Annual Report - 2011

IFC से भारत के निजी उपक्रमों को ऋणों व अंश पूजी के रुप में काफी वित्तीय सहायता मिली है। लाभान्वित पूंजी की दृष्टि से भारत तीसरे स्थान पर है। वित्त वर्ष 2011 में IFC नें भारत को 22 परियोजनाओं के लिए 41.0 करोड़ डॉलर के तुल्य वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। स्थापना से लेकर आज तक निगम भारत की 267 परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर चुका है। किन्तु यह सहायता न केवल अपर्याप्त है बल्कि इसकी ब्याज दरें भी काफी ऊँची है। आज तक निगम द्वारा भारत को 5 करोड़ डॉलर से अधिक राशि का एक भी ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है।

एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank – ADB)

एशियाई विकास बैंक का सदस्य एशियाई देश या गैर एशियाई देश कोई भी बन सकता है। 2011 के अन्त में बैंक की कुल सदस्य संख्या 67 थी। जिसमें 48 क्षेत्रीय सदस्य तथा 19 गैर–क्षेत्रीय सदस्य है। गौरतलब तथ्य यह भी है कि ADB का अध्यक्ष इसके तीन उपाध्यक्षों में से अमरीका का एक यूरोप का तथा एक एशिया का प्रतिनिधि होता है।

भारत ADB का संस्थापक सदस्यों में रहा है। तथा बैंक की अंश पूंजी में भी भारत का बहुत बड़ा हिस्सा होने के कारण भारत बैंक के निर्देषक मण्डल का एक स्थायी सदस्य भी है। साथ ही साथ बैंक की प्रबन्धकीय व्यवस्था और नीति निर्धारण प्रक्रिया में भी भारत का सदैव सराहनीय योगदान रहा है। स्थापना से 31 दिसम्बर 2010 तक भारत की स्वीकृत क्षेत्रवार ऋण निम्नानुसार है।

क्र.सं. क्षेत्र	कुल ऋण राशि (मिलियन डॉलर)	कुल का भाग (%)
1. ऊर्जा	7814.29	32.39
2. परिवहन एवं संचार	7589.05	31.46
3. वित्त	2620.00	10.86
4. सामाजिक संरचना	1345.00	6.56
5. बहु क्षेत्रीय	2358.00	9.78
6. उद्योग एवं खनिज	275.90	1.14
7. पेय जल	2156.80	8.98
8. कृषि	238.67	0.55
कुल	24,112.74	100.00

Source- ADB Annual Report – 2010

E- ISSN No: 2395-0269

International Journal of Applied and Universal Research
Volume 2, Issue 1, May-June 2015 Available online at: www.ijaur.com

विश्व व्यापार संगठन World Trade Organisation – WTO

विश्व व्यापार संगठन में सर्वोच्च निर्णायक घटक होता है– मंत्रीस्तरीय समिलन (Ministrerial Conference) इसमें सभी सदस्य देशों के मंत्रीयों का प्रतिनिधित्व होता है। और इसकी बैठक प्रति दो वर्षो में कम से कम एक बारर होना आवश्यक है। WTO की नीतियों का निर्धारण इसके मंत्रीस्तरीय सम्मेलनों में किया जाता है। आज तक WTO के सात मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित हो चुके है। विभिन्न मंत्री स्तरीय सम्मेलनों और वार्ताओं के दौरान WTO द्वारा अनेक प्रकार के नीतिगत निर्णय के लिए जाते रहे है। तथा विभिन्न प्रकार के समझौतों को भी अंजाम दिया जाता रहा है। इन समझौतों में प्रमुख निम्नवत् है –

- कृषि समझौता (Agreement on agriculture)
- वस्तु व्यापारर के बहुपक्षीय समझौते (Multilateral agreement on trade in goods - MATG)
- सेवा–व्यापार का सामान्य समझौता (General agreement on trade in Services – GATs)
- बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार सम्बन्धी समझौता (Related aspects on Intellectual property Rights-TRIPs)
- व्यापार सम्बन्धी निवेश उपाय (Agreement on Trade Related Investment Measures – TRIMs)

विश्व व्यापार संगठन से भारत के निर्यात व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment - FDI) में वृद्धि हो रही है। तथा साथ ही भारतीय उत्पादों को नवीन अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में विशिष्ट पहचान भी मिली है। विदेशी मुद्रा भण्डार को बढ़ाने में भी भारत को सफलता मिली ह। विवादों का निपटारा करनके के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय मंच भी भारत को प्राप्त हुआ है। किन्तु दूसरी ओर TRIPs का दुष्प्रभाव भारत को झेलना पड़ रहा है। तथा MNCs से कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। WTO के कारण भारत के लिए अनिवार्य आयातों का खतरा बढ़ गया है। भारत का गैर–व्यापारिक सामाजिक मुद्दो पर निरन्तर शोषण किया जा रहा है। तथा साथ ही आन्तरिक आर्थिक नीतियों के निर्धारण और क्रियान्वयन की स्वतंत्रता का हनन भी हो रहा है।

निष्कर्षः–

वर्तमान समय में, जनसंख्या वृद्धि एवं फैशन की इस दुनिया में कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों को समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति अपने ही राष्ट्र के उत्पाद से पूरा नहीं कर सकता, अतः आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण विदेशी व्यापारर उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। जितना महत्व लेन–देन में मुद्रा (Money) का। मुद्रा के बिना लेन–देन सम्भव नहीं है। उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बिना आवश्यकताओं की पूर्ति करना सम्भव नहीं है। भिन्न–भिन्न रास्तों की जलवायु, वातावरण, श्रम–शक्ति, टेक्नालॉजी, प्राकृतिक संसाधन, दान आदि भिन्न–भिन्न है। अतः किसी भी एक राष्ट्र में समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति योग्य सामग्री उपलब्ध नहीं करायी जा सकती इस हेतु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

संदर्भ –

1. गौरव घोष, अर्पिता घोष–सीपीटी
2. डॉ. बी.सी. सिन्हा, भारतीय आर्थिक नीति
3. जी.एस. सुधा, व्यावसायिक पर्यावरण
4. मनु प्रकाश श्रीवास्तव, न्ळ६ छम्ज
5. डॉ. ओ.पी. शर्मा, डॉ. के.के. शर्मा न्ळ६ छम्ज
6. डॉ. एस.सी. जैन, अन्तर्राष्ट्रीय विपणन
7. प्रो. एस.आर. ठाकुर, व्यावसायिक अध्ययन
8. डॉ. अनुपम गोयल, व्यावसायिक अध्ययन
9. डॉ. बी.सी. सिन्हा, व्यापसायिक पर्यावरण
10. डॉ. रामरतन शर्मा, भारतीय अर्थशास्त्र
11. जी उपाध्याय आर.एल. शर्मा, व्यावसायिक अर्थशास्त्र
12. डॉ. बी.सी. सिन्हा, आर्थिक विकास
13. नवीन शोध संचार